


समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा.



R5432II/16

- 1- रामसजीवन यादव तनय स्व० दशरथ यादव उम्र 65 साल,
- 2- ददनिया उर्फ ददानी यादव तनय स्व० दशरथ यादव उम्र 55 साल,
- 3- बाबूलाल यादव तनय स्व० बोड़ई यादव उम्र 50 साल,
- 4- लल्लू यादव तनय स्व० बोड़ई यादव उम्र 40 साल,
- 5- अवधेश यादव तनय स्व० बृजवासी यादव उम्र 55 साल,
- 6- मुन्ना यादव तनय स्व० बृजवासी यादव उम्र 45 साल,
- 7- लल्लू यादव तनय स्व० बृजवासी यादव उम्र 42 साल,
- 8- शंकर यादव तनय स्व० गलबालिया उर्फ गलबाली यादव उम्र 35 साल,

पृ. 3 of 1

----- सभी निवासी ग्राम महरहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदक गण ।

बनाम

महुरा यादव तनय स्व० छतधारी उर्फ छट्टारी यादव साकिम महरहा तहसील -
सेमरिया जिला रीवा म०प्र० ----- अनावेदक ।

अधिवक्ता श्री जीतेंद्र सिंह
द्वारा प्रस्तुत / 27-9-16

(Signature)
सदस्य राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश व पुष्टीकरण सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० दिनांक 30-07-16 जरिफ प्र०क्र० - 42अ/2/2015-16 बावत् भूमि खसरा नं०- 16/5 रकबा 0-692 हे० स्थित ग्राम महरहा ज०नं० 464 पट०हे० बसोल तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संश्लिष्ट ।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 5432-दो/16


जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-02-17	<p>आवेदक अभिभाषक श्री जीतेन्द्र सिंह को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 42/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-7-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्ताकारों को सूचना जारी करने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। आवेदकगण के सूचना पत्र एवं स्थाल पंचनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को उक्त सीमांकन की जानकारी थी तथा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है। जहां तक आवेदकगण द्वारा एकपक्षीय रूप से बंटवारा आदेश होने के पश्चात नक्शा त्रुटि कराने के तर्क का प्रश्न है आवेदकगण उक्त आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। बंटवारा एवं नक्शा त्रुटि में</p>	

✓

पारित आदेशों को सीमांकन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया जिसमें प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 42/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-7-16 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


(एस0एस0 अली)
सदस्य